PepsiCo, Inc. के वैश्विक आपूर्तिकर्ता आचार संहिता

प्रभावी जून 2018
संशोधित अगस्त 2025

उद्देश्य व दायरा

PepsiCo में हम यह मानते हैं कि नैतिक रूप से और ज़िम्मेदारी से काम करना न केवल करने के लिए सही चीज़ है, बल्कि यह हमारा व्यवसाय करने के लिए भी सही चीज़ है. यह विश्वास हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम में रचा-बसा है, और यही हमारी दृष्टि की नींव है: pep+ (PepsiCo Positive) के साथ जीतकर सुविधाजनक खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में वैश्विक नेता बनना. हमारी वैश्विक आपूर्तिकर्ता आचार संहिता (“**आपूर्तिकर्ता संहिता**”) अंतरराष्ट्रीय मानकों को दर्शाती है और व्यापारिक अखंडता, नैतिकता और भ्रष्टाचार विरोध, मानवाधिकार और श्रम प्रथाओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तथा पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्रों में हमारे आपूर्तिकर्ताओं के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है.

PepsiCo के साथ या उसकी ओर से व्यवसाय करने वाले सभी प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, एजेंटों और अन्य तीसरे पक्ष के सामान और सेवा प्रदाताओं (“आपूर्तिकर्ता”) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे PepsiCo और उसके सहयोगियों के साथ व्यापार करने की शर्त के रूप में[1] ‘आपूर्तिकर्ता संहिता’ और अन्य सभी प्रासंगिक नीतियों और मानकों का पालन करें. आपूर्तिकर्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे अपनी आपूर्ति शृंखला के माध्यम से आपूर्तिकर्ता संहिता और संबंधित नीतियों के सिद्धांतों को लागू करें. इसके अतिरिक्त, जो आपूर्तिकर्ता PepsiCo के परिसरों में सेवाएँ प्रदान करते हैं या PepsiCo के उपकरणों या संपत्ति का उपयोग करते हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यस्थल के आचरण और उपकरणों तथा संपत्ति के उचित उपयोग से संबंधित पेप्सिको की सभी आवश्यकताओं का पालन करें.

व्यापार संचालन के सिद्धांत

PepsiCo अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करता है कि वे ज़िम्मेदारी, अखंडता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ व्यवसाय करें, और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करें:

1. **जगह स्वच्छता के बनाए रखें और देशों के उनके संचालन के सभी लागू कानूनों व नियमों का पालन करें.**

2. **PepsiCo और उसके भागीदारों की समस्त जानकारी की गोपनीयता बनाए रखें.**

   PepsiCo के आपूर्तिकर्ताओं को PepsiCo और उसके भागीदारों की उन जानकारियों की सुरक्षा के लिए सभी उचित और आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए जिनकी उन तक पहुँच है; इसमें PepsiCo के अंदर या बाहर किसी के भी ऐसी जानकारी का खुलासा न करना शामिल है, जब तक कि वह खुलासा उचित रूप से अधिकृत न हो, स्पष्ट रूप से परिभाषित

[1] लागू मानकों और नीतियों में शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय विधेयक, कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा, PepsiCo की वैश्विक रिश्वत-विरोधी अनुपालन नीति, और टिकाऊ पाम तेल पर PepsiCo के वैश्विक नीति. इन दस्तावेज़ों और अन्य प्रासंगिक PepsiCo नीतियों की प्रतियां www.pepsico.com से मिल सकती हैं.

वैध व्यावसायिक आवश्यकता से जुड़ा नहीं है (यानी, 'केवल जानने की आवश्यकता' के आधार पर साझा किया गया है), और एक लिखित गोपनीयता समझौते के अधीन नहीं है.

3. **PepsiCo के व्यवसाय में उचित रूप से प्रतिस्पर्धा करें और PepsiCo की ओर से इस तरह के सभी व्यवसाय को वैध तरीके से संचालित करें.**

PepsiCo कानूनी और नैतिक रूप से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों या अन्य तीसरे पक्षों के साथ भ्रष्ट व्यवस्थाओं के सख्ती से प्रतिबंधित करता है. इसी तरह से, PepsiCo अपने आपूर्तिकर्ताओं के सार्वजनिक क्षेत्र या वाणिज्यिक रिश्वत के किसी भी रूप में संलग्न होने से रोकती है. किसी भी परिस्थिति में PepsiCo की ओर से कार्यरत आपूर्तिकर्ता, किसी सरकारी अधिकारी, या निजी या व्यवसायिक क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति या संस्था के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्य की किसी वस्तु का वादा नहीं कर सकता या प्रदान नहीं कर सकता, यदि वह भुगतान किसी अनुचित व्यापार लाभ को प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए प्राप्तकर्ता को उसके पद का दुरुपयोग के लिए प्रेरित करता हो. इन सिद्धांतों के अनुरूप, PepsiCo की ओर से कार्यरत आपूर्तिकर्ताओं के अमेरिकी विदेश भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम, किसी भी लागू स्थानीय भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का पालन करना चाहिए और उनसे PepsiCo की वैश्विक रिश्वत-रोधी अनुपालन नीति (“ABAC नीति”) का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है.

4. **भेदभाव, उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से मुक्त कार्यस्थल प्रदान करें.**

PepsiCo आपूर्तिकर्ताओं के ऐसा कार्य वातावरण सृजित करना चाहिए जिसमें कर्मचारी और व्यवसायिक भागीदार अपने योगदानों के लिए सम्मानित और आदरणीय अनुभव करें. उत्पीड़न, जिसमें किसी भी प्रकार का अवांछित मौखिक, दृश्य या शारीरिक व्यवहार शामिल है जो डराने वाला, अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाता हो, उसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाना चाहिए. रोज़गार के निर्णय अनिवार्य रूप से योग्यता, कौशल, कार्य प्रदर्शन, और अनुभव के आधार पर लिए जाने चाहिए

5. **मज़दूरी, काम के घंटों और लाभ के मामलों सहित कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण ढंग से पेश आएं**

PepsiCo के आपूर्तिकर्ताओं के समस्त लागू मज़दूरी, काम के घंटे और बैनिफिट-संबंधी कानूनों और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए. आपूर्तिकर्ताओं के ऐसी मज़दूरी प्रदान करनी चाहिए जो कानूनी न्यूनतम के बराबर या उससे अधिक हो, और उन्हें एक सम्भव जीवन स्तर के वहन करने के लिए पर्याप्त मज़दूरी प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए. सभी मज़दूरी का भुगतान समय पर और पूरा किया जाना चाहिए और अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में मज़दूरी में कटौती करना प्रतिबंधित है। आपूर्तिकर्ताओं के कार्य समय और आराम के अधिक लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं: (i) 48 नियमित रूप से निर्धारित काम के घंटों और 12 स्वैच्छिक ओवरटाइम घंटों से अधिक नहीं के कार्य सप्ताह, (ii) ओवरटाइम समय की प्रतिपूर्ति एक प्रीमियम दर पर, और (iii) श्रमिकों के हर 7 दिनों में एक दिन आराम दिया जाता है, सिवाय आपातकालीन स्थितियों या असामान्य स्थितियों के. जहां आपूर्तिकर्ता की प्रथाएं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करती हैं, आपूर्तिकर्ता के मूल कारणों की पहचान करनी चाहिए और इसकी प्रथाओं के बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए

6. **जबरन या अनिवार्य श्रम के सभी रूपों पर रोक लगाएं.**

PepsiCo अनैच्छिक जेल श्रम, अनुबंधित श्रम, बंधुआ श्रम, सैन्य श्रम, दास श्रम और मानव तस्करी के किसी भी रूप सहित सभी प्रकार के जबरन श्रम के उपयोग को प्रतिबंधित करता है. PepsiCo के आपूर्तिकर्ताओं को इन मानकों का पालन करना होगा और श्रमिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता सहित मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए. रोज़गार के निर्णय स्वतंत्र पसंद पर आधारित होने चाहिए और किसी भी प्रकार का मजबूरन या अनैच्छिक जेल श्रम नहीं होना चाहिए. साथ ही अनुशासन या नियंत्रण की पद्धति के रूप में शारीरिक दंड, हिंसा की धमकी या शारीरिक यौन, मनोवैज्ञानिक या मौखिक दुर्व्यवहार के किसी भी अन्य रूप का उपयोग नहीं किया जा सकता. रोजगार दस्तावेज़ीकरण (जैसे, प्रस्ताव पत्र, आदि) में रोजगार की शर्तें स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए और कर्मचारी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होना चाहिए, आवश्यक होने पर मौखिक स्पष्टीकरण भी प्रदान किया जाना चाहिए. आपूर्तिकर्ताओं को पहचान पत्रों को अपने पास रखकर, जमा राशि लेकर, या श्रमिकों द्वारा अपना रोज़गार समाप्त करने से रोकने के उद्देश्य से की गई अन्य कार्यवाइयों के माध्यम से उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए. नियोक्ता-भुगतान सिद्धांत के अनुरूप, श्रमिकों से अपने रोजगार को प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए भर्ती या अन्य समान शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. भर्ती की लागत नियोक्ता द्वारा वहन की जानी चाहिए. आपूर्तिकर्ताओं और किसी भी तृतीय पक्ष भर्ती एजेंसियां इन सिद्धांतों का पालन करेंगी और उनसे, शुल्क की पहचान होने पर, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उचित उपचार योजना स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है.

7. बाल श्रम के उपयोग का निषेध करें.

PepsiCo, स्थानीय कानूनी न्यूनतम कार्य आयु (15), या अनिवार्य स्कूलिंग आयु, जो भी अधिक हो, के तहत किसी को भी काम पर रखने पर रोक लगाता है. PepsiCo के आपूर्तिकर्ताओं को इन मानकों, सभी लागू कानूनों और विनियमों, और सभी प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों का पालन करना होगा. ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) के मार्गदर्शन के अनुरूप, आपूर्तिकर्ता किसी भी स्थिति में युवा श्रमिकों को ऐसा कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे जो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए संभावित रूप से खतरनाक हो. आपूर्तिकर्ताओं को भर्ती के समय सभी श्रमिकों की आयु और रोज़गार पात्रता को सत्यापित करना चाहिए और किसी भी संभावित नीतिगत उल्लंघन को ज़िम्मेदारी से सुधारने के लिए उचित प्रणालियाँ स्थापित करनी चाहिए. संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित PepsiCo के आपूर्तिकर्ता रोजगार पात्रता सत्यापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह भूमि सुरक्षा विभाग के E-Verify कार्यक्रम का उपयोग करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित अपनी सभी श्रम एजेंसियों, उप-ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा E-Verify के उपयोग को अनिवार्य करेंगे.

8. संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करें.

लागू कानूनों के अनुरूप, PepsiCo के आपूर्तिकर्ताओं को संघों और श्रमिक संगठनों में शामिल होने के कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए. यूनियनों के सदस्यों, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों, और किसी भी ऐसे कर्मचारी के खिलाफ डराना-धमकाना, उत्पीड़न, प्रतिशोध या हिंसा प्रतिबंधित है, जो ऐसे संगठनों में शामिल होने या न होने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है. जहां स्थानीय कानून द्वारा संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित है, आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय कानूनों के अनुपालन में रहते हुए संलग्नता के वैकल्पिक साधनों का समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए

9. सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियाँ प्रदान करें.

PepsiCo के आपूर्तिकर्ता दुर्घटना से मुक्त ऐसा वातावरण प्रदान करने के लिए अग्रसक्रियता से स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों को प्रबंधित करें, जहाँ व्यवसायिक चोटों और बीमारियों की रोकथाम की जाती है. आपूर्तिकर्ताओं को ऐसी प्रबंधन प्रणालियाँ और नियंत्रण लागू करने चाहिए जो खतरों की पहचान करें, उनके विशिष्ट उद्योग से संबंधित जोखिमों का आकलन और नियंत्रण करें, और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों को सक्रिय रूप से दूर करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें तथा अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन के निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करें. इसके अलावा, आपूर्तिकर्ताओं को सुरक्षित पीने के पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए, जिसमें पर्याप्त शौचालय और हाथ धोने की सुविधाएँ शामिल हैं; अग्नि निकास और आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण; व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) और आपातकालीन सहायता किट; और आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं तक पहुँच, जिसमें पर्यावरण, अग्निशमन और चिकित्सा शामिल हैं.

10. सभी लागू पर्यावरणीय कानूनों और विनियमों का पालन करें और व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन इस प्रकार करें कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव न्यूनतम हों.

PepsiCo के आपूर्तिकर्ताओं को सभी लागू कानूनों का पालन करना चाहिए और समय के साथ निरंतर अपने व्यवसायिक संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए. जल और ऊर्जा उपयोग दक्षता में सुधार, अपशिष्ट में कमी, सामग्री रीसाइक्लिंग और प्रदूषण नियंत्रण में सुधार के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अवसरों पर, जहाँ संभव हो, विचार किया जाना चाहिए. PepsiCo अपने आपूर्तिकर्ताओं को जल उपयोग दक्षता में सुधार करने, कचरे को कम करने और लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे को खत्म करने, तथा सोर्सिंग और संचालन में जैवविविधता के संरक्षण को एकीकृत करने के लिए कार्ययोजनाएं लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

11. भुगतान और प्रतिपूर्ति के लिए PepsiCo के प्रस्तुत सभी चालानों के संबंध में, सभी लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं और स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप सटीक वित्तीय पुस्तकें और व्यवसायिक अभिलेख कायम रखें.

12. वे उत्पाद और सेवाएं प्रदान करें जो लागू गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं.

PepsiCo अपने सभी ब्रांडों में उच्च गुणवत्ता के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारे उत्पादों के विकास, हैन्डलिंग, निर्माण, पैकेजिंग, परिवहन, या भंडारण के किसी भी पहलू में शामिल आपूर्तिकर्ताओं से निम्नलिखित की अपेक्षा की जाती है:

- उत्पाद संबंधी उच्च गुणवत्ता मानकों, नीतियों, विशिष्टताओं, और कार्य-प्रणालियों को जानें और पालन करें जो आपके स्थान पर उत्पादित उत्पादों पर लागू होते हों;
- उत्तम औद्योगिक प्रथाओं और जाँच प्रोटोकॉल को जानें और उनका पालन करें;
- सभी लागू संघीय, प्रांतीय, और स्थानीय खाद्य सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें; और
- PepsiCo को तुरंत ऐसे मुद्दों की सूचना दें जो PepsiCo उत्पाद की गुणवत्ता या जनता की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हों.

13. PepsiCo द्वारा अनुरोधित उपयुक्त प्रबंधन प्रक्रियाओं को स्थापित करके और उचित आकलन प्रक्रियाओं में सहयोग देकर आपूर्तिकर्ता संहिता के अनुपालन में मदद करें.

PepsiCo के साथ व्यापार करने के लिए, आपूर्तिकर्ता ऐसे ठेके में प्रवेश करते हैं और खरीद आदेश को कार्यान्वित करते हैं, जो आपूर्तिकर्ता संहिता के अनुपालन को अनिवार्य बनाते हैं। हम आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे आपूर्तिकर्ता संहिता में उल्लिखित मानकों और अपेक्षाओं के निरंतर अनुपालन का समर्थन करने के लिए उपयुक्त नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रबंधन प्रणालियों को अपनाएं। पूर्व सूचना के साथ, PepsiCo 'आपूर्तिकर्ता संहिता' के साथ आपूर्तिकर्ता के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए उचित ऑडिट, जिसमें मानवाधिकार ऑडिट शामिल हैं, और अलक्षित आकलन करने का अनुरोध कर सकता है। PepsiCo आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्तिकर्ता संहिता के अनुपालन का प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षण पूरा करने का भी अनुरोध कर सकती है। आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे [व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों] द्वारा परिभाषित अपने स्वयं के मानवाधिकार संबंधी यथोचित परिश्रम करें। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ABAC (रिश्वत-विरोधी और भ्रष्टाचार-विरोधी) नीति में आगे बताया गया है, कुछ आपूर्तिकर्ताओं के समय-समय पर हमारी 'थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस' (तृतीय पक्ष उचित सावधानी) प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है

14. PepsiCo के कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय संभावित हितों के टकराव से बचें।

PepsiCo के प्रदायकों को PepsiCo के कर्मचारियों को ऐसे उपहार देने या इसकी पेशकश करने से मना किया जाता है जो अनुचित रूप से PepsiCo के व्यापार निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं या कोई अनुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपूर्तिकर्ता PepsiCo के व्यावसायिक उपहार प्रतिबंधों का पालन करेंगे, जो केवल कम-कीमत के मामूली उपयुक्त उपहारों (मूल्य में $100 USD से कम) की अनुमति देते हैं और (1) अनुबंध वार्ता या बोली प्रक्रिया के दौरान तथा (2) खरीद भूमिकाओं में कर्मचारियों के किसी भी उपहार पर प्रतिबंध लगाते हैं। आपूर्तिकर्ता ऐसी किसी भी गतिविधि से बचेंगे जो PepsiCo के कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते समय हितों के टकराव का कारण बने या हितों के टकराव का आभास कराए

15. सुनिश्चित करें कि किसी भी भूमि अधिग्रहण (पट्टे और उपयोग करने सहित) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हों, जिसमें निःशुल्क, पूर्व और सूचित सहमति शामिल हो।

16. शिकायत प्रबंधन प्रक्रियाओं की स्थापना करें और आपूर्तिकर्ता संहिता के संदिग्ध उल्लंघनों की रिपोर्ट करें.

आपूर्तिकर्ताओं को अपने परिचालनों के भीतर श्रमिकों द्वारा और तीसरे पक्ष द्वारा उठाई गई शिकायतों को आगे बढ़ाने, प्रबंधित करने और संबोधित करने के लिए एक शिकायत प्रबंधन तंत्र स्थापित करना चाहिए तंत्र की संरचना और कार्य संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और मानवाधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लिखित प्रभावशीलता मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए आपूर्तिकर्ताओं को उन व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ प्रतिशोध को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए जो सद्भाव में चिंताएं उठाते हैं. प्रतिशोध में किसी भी कानूनी कार्रवाई, आर्थिक प्रतिशोध, जानबूझकर प्रतिष्ठा के नुकसान, धमकियां, डराना-धमकाना और किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ हिंसा शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिसने सद्भाव में चिंता उठाई है.

आपूर्तिकर्ता और उनके कर्मचारी इस संहिता के संदिग्ध उल्लंघनों की सूचना PepsiCo "Speak Up" हॉटलाइन के संयुक्त राज्य अमेरिका में 1-866-729-4888 पर अथवा विश्व भर के अन्य देशों में समर्पित फ़ोन लाइनों पर दे सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय हॉटलाइन टेलीफोन नंबरों की एक सूची [यहां] उपलब्ध है. "Speak Up" हॉटलाइन 24/7 के आधार पर विश्व भर में उपलब्ध है. संचार "Speak Up" वेबलाइन पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है ([यहां]) देखें. ऐसी सभी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाता है, चाहे वे "Speak Up" टेलीफ़ोन के माध्यम से प्रदान की गई हों या वेबलाइन के माध्यम से, और जहां कानून की अनुमति हो तो आप गुमनाम रह सकते हैं.